Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में राजस्व पटवारी 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 नवम्बर,* शुक्रवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर इन्टेलिजेन्स उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमती अभिलाषा जैन पटवारी पटवार मण्डल सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की इन्टेलिजेन्स उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी माताजी की कृषि भूमि पर स्थगन आदेश होने के बावजूद विपक्षी पार्टी द्वारा निर्माण कराने की शिकायत पर कार्यवाही करने की एवज में श्रीमती अभिलाषा जैन पटवारी पटवार मण्डल सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर द्वारा 20 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की इन्टेलिजेन्स उदयपुर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री दिनेश सुखवाल** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती अभिलाषा जैन पत्नी श्री धीरज भण्डारी, निवासी फ्लैट नं0 804, आर्बिट कॉम्प्लेक्स, पुलिस थाना सुखेर, जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपिया पटवारी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 5 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि वसूल की जा चुकी थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।